न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 5/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. दुलाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — **30.09.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 417 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 418 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 419 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 420 रकबा 2.87 है0, ख0नं0 609 रकबा 2.70 है0, ख0नं0 620/724 रकबा 0.09 है0 किता 7 कुल रकबा 6.40 हैक्टर में प्रार्थी/वादी का हिस्सा 1/2, भूमियां खसरा नम्बर 620/725 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 622 रकबा 2.74 है0 किता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टर में वादी/प्रार्थी का हिस्सा 1/4 एवं भूमियां खसरा नम्बर 439 रकबा 0.15 हैक्टर, ख0नं0 440 रकबा 1.00 हैक्टर, ख0नं0 441 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 442 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 443 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 444 रकबा 1.77 है0, ख0नं0 445 रकबा 1.40 हैक्टर किता 7 कुल रकबा 5.40 हैक्टर में वादी/प्रार्थी का हिस्सा 1/12 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा वाके ग्राम पुनियाणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो कि प्रार्थी/वादी के हक हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव पुत्र लच्छा के नाम सें दर्ज है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम दुलाराम पुत्र लच्छाराम है जो कि ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों सें पूर्णतया साबित व प्रमाणित है। उपरोक्त दस्तावेजों में प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सही रूप सें नाम दुलाराम पुत्र लच्छाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि रामदेव व दुलाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त भूमियों पर प्रार्थी को राजस्थान ग्रामीण बैंक सें दुलाराम उर्फ रामदेव के नाम किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किया हुआ है। अब किसान क्रेडिट को बढवाने की आवश्यकता हुई है तो बैंक मेनेजर द्वारा मना करने पर प्रार्थी को न्यायालय में वादपत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 416 ता 420, 609,620/724 किता 7 कुल रकबा 6.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 620/725, 622 किता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 439 ता 445 किता 7 कुल रकबा 5.40 हैक्टर वाके ग्राम पुनियाणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र लच्छा के स्थान पर दुलाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज करते हुए इस प्रकार की रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संहवन सें रामदेव पुत्र लच्छा दर्ज है जिसें दुरूस्त किया जावे तथा रामदेव पुत्र लच्छा के स्थान पर दुलाराम पुत्र लच्छाराम दर्ज किया जावे।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव पि0 लच्छा जाति जाट है जो विरासत सें दर्ज हुआ है जबकि आवेदन के राशनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र में आवेदक का नाम दुलाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट है। पंचायत के प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम रामदेव व दुलाराम एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया गया है। अतः रामदेव पुत्र लच्छा के स्थान पर दुलाराम पुत्र लच्छा किया जाना उचित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी/वादी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पुनियाणा पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ की भूमि**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 416 ता 420, 609,620/724 किता 7 कुल रकबा 6.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 620/725, 622 किता 2 कुल रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 439 ता 445 किता 7 कुल रकबा 5.40 हैक्टर में खातेदार रामदेव पुत्र लच्छा के स्थान पर दुलाराम पुत्र लच्छा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner